

इस वेबसाइट [www.govt\\_press\\_mn.nic.in](http://www.govt_press_mn.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर 2014—भाग 17, शक 1936

आदिम जाति कल्याण विभाग  
मंदिलय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्र. एफ-20-2-2013-०१८८८—ग्रन्थ शास्त्र, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-1/2009/5/पच्चीस, दिनांक 18 फरवरी, 2009 द्वारा गठित आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् नियम, 1957 के नियम-३ के उपनियम (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् के सदस्य के रूप में नामांकित करते हुए मंत्रणा-परिषद् का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

(1) माननीय मुख्यमंत्री जी	अधिकारी
(2) माननीय मंत्री जी, आदिम जाति कल्याण विभाग	उपाध्यक्ष
(3) श्री कुंवर सिंह टेकाम, विधायक, 82-धौहनी, सीधी	सदस्य
(4) श्रीमती प्रभिला सिंह, विधायक, 84-जयसिंहनगर, शहडोल	सदस्य
(5) श्री जयसिंह मरावी, विधायक, 85-जैतपुर, शहडोल	सदस्य
(6) सुश्री मीना सिंह, मांडवे, विधायक, 90 मानपुर, उमरिया	सदस्य
(7) श्रीमती नंदनी मरावी, विधायक, 102-सिहोरा, जबलपुर	सदस्य
(8) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, विधायक, 103-शहपुरा, डिण्डोरी	सदस्य
(9) श्री पंडित सिंह धुर्वे, विधायक, 105-विडिया, मण्डला	सदस्य
(10) श्री रामप्पारे कुलस्ते, विधायक, 106 निवास, मण्डला	सदस्य
(11) श्री सज्जनसिंह उइके, विधायक, 132-घोड़डोंगरी, बैतूल	सदस्य

परिक्षण - ८६

विषय: विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-६२०१, द्वारा—श्रीमती झूमा सोलंकी, माननीय विधायक।

कृपया विषयांकित विधानसभा प्रश्न का अवलोकन करें, जिसके भाग-घ का संबंध अनुश्रवण शाखा राज्य आयोजना से संबंधित है। उक्त भाग का उत्तर निम्नानुसार है :—

उत्तर

(घ) क्या खरगोन जिले में Tribal Sub Plan के तहत संपूर्ण राशि का खर्च किया जाता है तथा इसका व्यय अन्य मर्दों में भी किया गया है ? हां तो वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक की राशि का किन-किन मर्दों पर व्यय किया गया है ?

उत्तर

(घ) खरगोन जिले में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत प्राप्त राशि नियमानुसार व्यय की जाती है। अन्य मर्दों में व्यय नहीं की गई है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

६ ए-८६

अपर संचालक १३.१६  
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं  
म्

6/27/AOP  
DATE: ३/३/१६

अपर संचालक  
कमेटी—कर्मीशन शाखा  
आ.जा.क्षे.वि.यो.

(12) श्री चम्पालाल देवड़ा, विधायक, 174-बागली, देवास	सदस्य
(13) श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादु, विधायक, 179-नेपानगर, बुरहानपुर	सदस्य
(14) श्री अंतर सिंह रावजी आर्य, मंत्री, 187-सेंपवा, बड़वानी	सदस्य
(15) श्री नागर सिंह चौहान, विधायक, 191-अलीराजपुर, अलीराजपुर	सदस्य
(16) कु. निर्मला भूरिया, विधायक, 195-पेटलावद, झायुआ	सदस्य
(17) श्री वेलरिंह भूरिया, विधायक, 196-सरदारपुर, धार	सदस्य
(18) श्री फग्नन सिंह कुलस्ते, सांसद, मण्डला	सदस्य
(19) श्रीमती ज्योति धुर्वे, सांसद, वैतूल	सदस्य
(20) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	सदस्य

2. उपरोक्त नवगठित आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल वर्तमान विधान सभा कालावधि तक रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीणा घाणेकर, संसद